नीट यू0जी0 2018 की द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के संबंध मे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियो को पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग मे पंजीकरण नहीं कराया है, वह पंजीकरण करा सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग मे पंजीकरण कराने के पश्चात् पंजीकरण शुल्क जमा नहीं कर सके थे, निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क जमा कर काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग कर सकते है।
- **प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपने मूल शैक्षणिक/जाति/अन्य प्रमाण–पत्रो के सत्यापन हेतु पूर्व मे दिये गये विकल्प के अनुसार संबंधित नोडल सेन्टर पर अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य है।**
- **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अभिलेखों का सत्यापन करा चुके है एवं उन्हें कोई भी सीट आवंटित नहीं हुयी है, वह अपने अभिलेखो के सत्यापन के समय मूल अभिलेख तथा प्राप्त रसीद के साथ संबंधित वेरिफिकेशन नोडल सेन्टर पर उपस्थित होना अनिवार्य है।**
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लिया है अथवा किन्हीं कारणो से आवंटन निरस्त कर दिया गया है, उनको पुनः अभिलेखो का सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण के समय व्यक्तिगत डाटा भरते समय कतिपय त्रुटियॉं (यथा अभ्यर्थी की श्रेणी, पूर्व से बी0डी0एस0 मे अध्ययनरत्, निवास संबंधी इत्यादि) हो गयी है, को अभिलेखो के सत्यापन के समय नोडल अधिकारी के संज्ञान मे लाते हुए सही करा सकते है।**
- **OBC, SC, ST का आरक्षण केवल उ0प्र0 के निवासियों को ही अनुमन्य है तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।**
- उपश्रेणी FF का प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश के उसी जनपद से निर्गत होना चाहिए जिस जनपद का अभ्यर्थी मूल निवासी है तथा PH का प्रमाण–पत्र महानिदेशालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत ही मान्य होगा।
- NCC श्रेणी की आरक्षित सीटो के लिए "सी" सार्टीफिकेट "बी" ग्रेड होना आवश्यक है।
- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपनी आवंटित सीट मे परिवर्तन(अपग्रेड) करना चाहते है तो द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग मे उन्हें विकल्प (प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित सीट का विकल्प प्रस्तुत न करे) देना अनिवार्य है।

- सीट अपग्रेड होने की स्थिति मे प्रथम काउन्सिलिंग से आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा यह सीट किसी अन्य अभ्यर्थी को मेरिट के आधार आवंटित हो जायेगी। यदि सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो पूर्व की सीट यथावत् रहेगी।
- **ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के पश्चात् च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है। लॉक न होने की स्थिति मे आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेंगे।**
- अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कॉलेजों की च्वाइस भरी जाये, जिनमें वह प्रवेश के लिए इच्छुक हैं।
- **निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस (कालेजों के फी-स्ट्रक्चर कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है) तथा संबंधित कालेज के संबंध में जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के पश्चात् ही च्वाइस लॉक करें।**
- **प्रथम चक की काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है वह द्वितीय चक की काउन्सिलिंग मे पुनः सिक्योरिटी धनराशि राजकीय सीटो हेतु रू0 30,000 तथा निजी क्षेत्र हेतु रू0 2,00,000 का बैंक ड्राफ्ट महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे देय हो, को संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा करने के पश्चात् ही अर्ह होंगे।**
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को शासन/अल्पसंख्यक संस्था द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tution Fee) **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे तैयार बैंक ड्राफ्ट, जो लखनऊ मे देय हो, प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर पर पूर्ण की जायेगी। नोडल सेन्टर का नाम आवंटन पत्र मे उल्लिखित होगा।
- द्वितीय काउन्सिलिंग से आंवटन प्राप्त अभ्यर्थियो को आवंटित कालेज/नोडल सेन्टर पर समस्त मूल प्रमाण-पत्रो तथा निर्धारित शुल्क के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थी के समस्त मूल प्रमाण-पत्र आवंटित कालेज/नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य है।
- सीट अपग्रेड होने की स्थिति मे प्रथम काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी पूर्व मे जमा शिक्षण-शुल्क की रसीद तथा अभिलेख जमा होने की रसीद के साथ संबंधित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होंगे।
- पुनरावंटन के पश्चात् आवंटित कालेज एवं प्रथम चक मे आवंटित कालेज के शिक्षण-शुल्क में यदि किसी प्रकार की भिन्नता अर्थात् शिक्षण शुल्क कम होता है, तो

अधिक जमा किये गये शिक्षण शुल्क आवंटित कालेज को प्रेषित कर दी जायेगी, जो कालेज द्वारा कालेज की हास्टल/सिक्योरिटी शुल्क मे समायोजित कर ली जायेगी तथा यदि कालेज का शिक्षण शुल्क अधिक होता है, तो अन्तर की धनराशि (Difference Amount) का बैंक ड्राफ्ट नोडल सेन्टर पर जमा किया जायेगा।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज मे प्रवेश होने के उपरांत प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा कालेज छात्रावास/सिक्योरिटी धनराशि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात् आवंटित कालेज मे जमा की जायेगी।
- **आल इण्डिया की द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के पश्चात् समर्पित होने वाली राजकीय सीटे जिस श्रेणी मे समर्पित होगी उसी श्रेणी के अभ्यर्थियो से आल इण्डिया मेरिट के आधार पर भरी जायेगी।**
- **समर्पित होने वाली आल इण्डिया कोटे की सीटो तथा स्टेट कोटे की सीटों हेतु अभ्यर्थियों को पृथक–पृथक विकल्प प्रस्तुत करना होगा।**
- **सर्वप्रथम आवंटन की कार्यवाही समर्पित आल इण्डिया कोटे की सीटों पर की जायेगी। तत्पश्चात् स्टेट कोटे की सीटो पर आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।**
- **समर्पित आल इण्डिया कोटे की सीटों पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी स्टेट कोटे की द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।**
- अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा जमा की सिक्योरिटी धनराशि रू0 30,000.00 एवं रू0 2,00,000.00 शैक्षणिक सत्र 2018 की काउन्सिलिंग प्रकिया सम्पन्न होने के उपरांत माह अक्टूबर 2018 तक वापस किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी सूचना पृथक से कार्यालय की वेबसाइट पर दी जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने धरोहर धनराशि रू0 30,000.00 जमा की थी तथा अब निजी क्षेत्र के कालेज हेतु प्रतिभाग करना चाहते है, उन्हें रू0 2,00,000.00 का बैंक ड्राफ्ट वेरीफिकेशन सेन्टर पर जमा करना होगा।

महानिदेशक